प्रेस विज्ञप्ति

जनपद – सोनभद्र

दिनांक – 11.02.2026

थाना बभनी पुलिस की बड़ी कार्यवाही, गोवध एवं पशु क्रूरता के प्रकरण में 01 अभियुक्त गिरफ्तार कर, 04 राशि गोवंश व 01 मोटरसाइकिल बरामद

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र श्री अभिषेक वर्मा द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने तथा गोवध एवं पशुओं के प्रति क्रूरता के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) श्री अनिल कुमार के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी दुद्धी श्री राजेश कुमार राय के पर्यवेक्षण में थाना बभनी पुलिस टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

दिनांक 10.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर थाना बभनी पुलिस टीम चकबगदरी सानी तिराहे के पास पहुंची, जहाँ जंगल की ओर से एक पैदल तथा दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से 02 बैल, 01 गाय एवं 01 बछिया को मारते-पीटते एवं दौड़ाते हुए ले जाते दिखाई दिए। पुलिस द्वारा रुकने का संकेत देने पर दो व्यक्ति मोटरसाइकिल छोड़कर जंगल की ओर भाग गए, जबकि एक व्यक्ति बाबूलाल अगरिया पुत्र केश्वर अगरिया, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी ग्राम चकबगदरी सानी, थाना बभनी, जनपद सोनभद्र को समय करीब 15.18 बजे मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त बरामदगी/ गिरफ्तारी क आधार पर थाना बभनी पर मु0अ0सं0-23/2026 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम एवं धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण :-

बाबूलाल अगरिया पुत्र केश्वर अगरिया, उम्र लगभग 51 वर्ष, निवासी ग्राम चकबगदरी सानी, थाना बभनी, जनपद सोनभद्र।

बरामदगी का विवरण :-

1. 02 राशि बैल
2. 01 राशि गाय
3. 01 राशि बछिया
4. 01 अदद मोटरसाइकिल हीरो होंडा साइन (UP64 AS 1292), स्लेटी रंग

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम :-

1. प्रभारी निरीक्षक दिन्नू प्रसाद यादव, थाना बभनी जनपद सोनभद्र।
2. उ0नि0 शिवमूरत यादव, थाना बभनी थाना बभनी जनपद सोनभद्र।
3. हे0का0 प्रदीप सिंह, थाना बभनी थाना बभनी जनपद सोनभद्र।
4. हे0का0 रामअशीष यादव, थाना बभनी थाना बभनी जनपद सोनभद्र।

जनपद पुलिस द्वारा अवैध गोवध एवं पशु क्रूरता से संबंधित अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सतत जारी रहेगी।